

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुयें

पत्रावली पेश
श्री. गोविंद
श्री. २०५
श्री. १९/०५/२५
पत्रावली

०४/०५/२०२५

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपन्न उप.। प्रकरण में अपीलानुस एवं श्लो. संख्या ०१ की ओर से पार्थना पर अर्न्तगत आदेश २३ नियम ३ के तहत पेश कर अपील पारिषे शजीनामा निस्साशन कथाने बाबत पेश किया जिलकी तस्वीक अधिवक्ता अपीलानुस एवं श्लो. संख्या ३ के अधिवक्ता द्वारा की गई। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश आशंदा दिनांक ०९/०५/२०२५ को पेश हो।

सलीय

श्री. इरुंग

Shri. Irung
In Appeal

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली

श्री. इरुंग

०९/०५/२०२५

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपन्न उप.। श्नाबिक आदेश की पालना मे पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश आशंदा दिनांक ३०/०५/२०२५ को पेश हो।

श्री. इरुंग

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली

श्री. इरुंग
29.05.2025
Shri. Irung

३०/०५/२५

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपन्न उप.। श्नाबिक आदेश की पालना में पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश आशंदा दिनांक १३/०६/२०२५ को पेश हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली

१३/०६/२५

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अतस्त/कार्य स्थगन पर हैं। पेशी इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक...१६/०६/२५..को पेश हो।

१६/०६/२५

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अतस्त/कार्य स्थगन पर हैं। पेशी इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक...१६/०६/२५..को पेश हो।

१७/०६/२५

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उमयपन्न उप.। पार्थना अधिवक्ता के माहिले किया किन उमयपन्न (२) की ओर से सि. १९ के आदेश २३ नियम ३ के अंतर्गत दिनांक २८/०५/२५ को पेश किया। इस आशंदा का पत्रावली पेशा गया कि अधिवक्ता उमयपन्न उप.। (P.T.O)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तहसील डाल (वाली) द्वारा प्रकाश संख्या 18/2016 में पारित निर्णय दिनांक 06/07/2018 को अपास्त किया जाए तथा प्रश्नगत आदेशों के समक्ष में दिनांक 06-07-2018 से पूर्व की खीति को बहाल किया जाए इतर पर दोनों पक्ष सहमत हैं, अतः माफिक शीतल निधि में पारित किया जाए

इस समक्ष में पत्रावली का अन्वेषण किया गया है। अतः अपास्त (को) अपील अस्थायी न्यायालय तहसील डाल (वाली) द्वारा प्रकाश संख्या 18/2016 में पारित निर्णय दिनांक 06/07/2018 को विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है

तहसील डाल (वाली) द्वारा प्रकाश संख्या 18/2016 में खंड (का) वल्लभ शंखुं द्वारा रजिस्ट्री सहाय के पक्ष में निष्पादित पंजीयन दिनांक 14-08-1996 की तहसील को करतें दुर्ग शीतल निधि के नाम नामान्तरण करवाने का अर्थात् दिनांक 06-07-2018 को पारित किया जाए

जिसके विरुद्ध अपील द्वारा यह अर्जिल प्रस्तुत की गयी है इस प्रकार तहसील डाल (वाली) द्वारा पंजीयन के आधार पर नामान्तरण (को) का अन्वेषण विवादित नामान्तरण (को) की श्रेणी में किया है अर्थात् प्रकाश संख्या 18/2016 में राज. अ. राजस्व अधि. 1956 की धारा का उल्लेख नहीं है, किन्तु प्रायः द्वारा दिनांक 07/03/2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्थात् धारा 81 RUR Act में उक्त प्रकाश संख्या 18/2016 के अन्वेषण (P.T.O)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18/07/2024
10/2018

राजस्थान अपील संख्या : 07/2024

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये

की धारा 135(2) के तहत निम्नलिखित होने का
 (वकील श्री) ने अपना पत्राचार किया है अधीनस्थ
 न्यायालय द्वारा पत्राचार प्राप्त दिनांक 07/01/2024
 दिनांक 18/01/2024 के अन्तर्गत से भी
 ग्राहक है कि तहसीलदार (वाली)
 द्वारा समाचार पत्र के आधारे 31/12/2023
 को पूर्वोक्त वकील दिनांक 14/01/1976
 की तारीख को हुए आयोग अधिसूचना
 दिनांक 06-07-2018 पारित किया है
 इस प्रकार, तहसीलदार (वाली) द्वारा
 'विकसित न्यायालय' के सम्बन्ध में
 आयोग अधिसूचना पारित किया गया है
 जिसके विद्वद् अपील करने का क्षेत्राधिकार
 न्यायालय करते हैं। तब- जिला कोर्ट
 को न होकर निदेशक, अं अपील के
 अधीन न्यायालय सम्मार्थी-आपुक्त
 को प्राप्त है 'अधीन वगैरह पुरानी वकालत'
 प्रकरण (R.R.D 2009-123) में प्राचीन
 राजस्थान न्यायालय द्वारा भी नहीं
 प्रतिपादित किया गया है
 अतः क्षेत्राधिकार वाञ्छित होने से दिनांक
 28-04-2024 को अन्तर्गत कोर्ट द्वारा
 प्रस्तुत राजीनामा अतः न्यायालय से
 तस्वीर नहीं किया जा सकता है
 प्रकरण से सम्बन्धित अपील पीपी
 अधिवक्ता पक्ष को सूचना अपील
 न्यायालय के प्रस्तुत करने के लिए
 (P.10)

तारीख हुकम

सेवा में,

~~लौरीशला गाँव पत्रावली फेरला सुफा होकर~~
~~दाखिल दफ्तर की गति तथा कौशिल्य~~
~~ज्यामान का पूरा रिकार्ड लौरीशला गाँव~~
~~निर्दिष्ट क्रम संख्या 17/03/2025 का~~
~~सारे-सुगमान सुगमान गाँव~~


 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 बाली, जिलापाली